[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2026 का विधेयक संख्या–11 एच०एल०ए०

हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026

हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973
को आगे संशोधित
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2026 कहा जा सकता है।

(2) यह 26 जून, 2026 से लागू हुआ समझा जाएगा।

1973 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 200 का संशोधन।

2. हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 200 के खण्ड (झ) में, "या अनुज्ञप्ति दी गई है," और "या अनुज्ञप्त" शब्दों तथा चिह्न का लोप कर दिया जाएगा।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

3. (1) हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2026 (2026 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 2), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

1. भारत सरकार के मंत्रिमंडलीय सचिवालय के विविनियमन प्रकोष्ठ (Deregulation Cell) द्वारा दोहरे लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त करने का निर्देश दिया गया है। मुख्य सचिव, हरियाणा द्वारा बूचड़खानों (Slaughter-houses) एवं मांस की दुकानों (Meat Shops) के लिए व्यापार लाइसेंस (Trade License) की अनिवार्यता को हटाने हेतू समीक्षा तथा विचार करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा को निर्देश दिया।

2. यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त प्रकार के व्यापार / गतिविधियों को हरियाणा के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (Food & Drugs Administration, Haryana) द्वारा भी विनियमित किया जा रहा है। उक्त संशोधनों से दोहरे लाइसेंस की आवश्यकता समाप्त होगी तथा अनुपालन के बोझ को कम करके आम जनता को राहत देगा, साथ ही, इसे 30 जून, 2026 तक पूर्ण किया जाना अपेक्षित था। अतः हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2026 को मंत्रिपरिषद की बैठक में दिनांक 22.06.2026 को पारित किया गया तथा इसे दिनांक 26.06.2026 को प्रकाशित किया गया।

3. अतः हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 में आवश्यक संशोधन करने के लिए हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026 अधिनियमित किया जाना आवश्यक है।

विपुल गोयल,
शहरी स्थानीय निकाय मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक : 20 अगस्त, 2026

डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया, आई.ए.एस.,
सचिव।

अवधेय: उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 20 अगस्त, 2026 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

अनुबन्ध

हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 से उद्धरण

200. (झ) किसी नगरपालिका–क्षेत्र में, जहां समिति द्वारा पशु वधशालाओं की पर्याप्त संख्या में व्यवस्था की गई है, या अनुज्ञप्ति दी गई है, वहां इस अधिनियम के अधीन अनुरक्षित या अनुज्ञप्त न की गई किसी पशुवधशाला या स्थान पर वध किए गए किसी पशु, भेड़, बकरी या सुअर के अभिसाधित या परिरक्षित मांस से भिन्न मांस के विक्रय के प्रयोजन के लिए नगरपालिका–क्षेत्र की सीमाओं के भीतर प्रवेश को नियंत्रित, विनियमित या प्रतिषिद्ध करेंगी और ऐसी किसी उपविधि के उल्लंघन में नगरपालिका–क्षेत्र की सीमाओं के भीतर लाए गए किसी मांस के अभिग्रहण, विनाश या अन्यथा व्ययन का उपबन्ध करेंगी।

12797—H.V.S.—H.G.P., Pkl.